



विषय:- क्रिमिनल मिस. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2123/2026 रामचन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.10.2026 के अनुपालन में अभियुक्तों का सही, सत्यापित एवं अद्यतन आपराधिक इतिहास मा० न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि मा० उच्च न्यायालयों में अभियुक्तों का सम्पूर्ण एवं त्रुटिरहित

डीजी परिपत्र सं० - 36/2024	दि०- 28.08.2024
डीजी परिपत्र सं० - 04/2024	दि०- 19.01.2024
डीजी परिपत्र सं० - 24/2023	दि०- 02.11.2021
डीजी परिपत्र सं० - 42/2021	दि०- 02.11.2021
डीजी परिपत्र सं० - 25/2015	दि०- 25.05.2015

आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश इस मुख्यालय स्तर से परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं, किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा

रहा है।

2- मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमिनल मिस. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2123/2026 रामचन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 16.09.2026 को सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में पुलिस द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। मा० न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि अनेक अवसरों पर इसी प्रकार बिना समुचित सत्यापन के अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अंकित कर प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा मा० न्यायालय को प्रेषित किये जाने वाले Instructions सरसरी तौर पर (cursory manner) तैयार कर भेजे जाते हैं, जिससे प्रकरणों के निस्तारण में देरी होती है। इस संबंध में मा० न्यायालय ने अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने हेतु निम्नवत निर्देशित किया है—

“13. Before parting with the order, it is pertinent to observe herein that this Court has, on several occasions, noticed that such details regarding the criminal history of an accused have been incorrectly furnished to the learned AGA, as a result of which the bail order, which is otherwise liable to be disposed off and its disposal gets delayed, thereby directly affecting the personal liberty of a person guaranteed under the Constitution of India. Despite this Court having repeatedly directed the learned AGA to instruct the concerned officers not to furnish the criminal history in such a casual manner, no effective result appears to have delivered.

14. Let the Director General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow, look into the matter and issue appropriate instructions to the S.S.P./S.P. of all the districts across the State of Uttar Pradesh, who shall ensure that such instructions are not prepared or forwarded in such a cursory manner..”

3. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले Instructions तथा प्रस्तरवार आख्या को पूरी गम्भीरता एवं सतर्कता से तैयार किया जाए। मा0 न्यायालय को प्रेषित की जाने वाली सूचना तैयार करते समय सभी सूचनाओं तथा अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का समुचित सत्यापन एवं उसकी अद्यतन स्थिति ज्ञात करने के उपरान्त ही उसे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया जाए। समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी/नोडल अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुये यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में सरसरी तौर पर तैयार किये गये अपूर्ण Instructions या त्रुटिपूर्ण आपराधिक इतिहास मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,
19/10
(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।